

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्र. 5-व.लि.-1-2014-7383.—श्री राजकुमार केवट, उपाध्यक्ष, नगर परिषद् बुढ़ार द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से न कर पाने के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 40(i) के तहत दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को त्याग-पत्र पेश कर उपाध्यक्ष, नगर परिषद् बुढ़ार के पद से त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है.

प्रस्तुत त्याग-पत्र की वास्तविकता के समाधान हेतु श्री राजकुमार केवट को आहुत कर कथन लिये गए. श्री राजकुमार केवट द्वारा अपने कथन दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में बिना डर, भय एवं दबाव के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दिया जाना बताया गया तथा प्रस्तुत त्याग-पत्र की पुष्टि की गई है.

वास्तविकता का समाधान हो जाने के कारण, मैं, डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40(2) के प्रावधानों के तहत श्री राजकुमार केवट द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद् बुढ़ार के उपाध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2014 स्वीकार करते हुए उक्त दिनांक से नगर परिषद् बुढ़ार के उपाध्यक्ष पद रिक्त घोषित करता हूँ.

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.